संख्या-24/2023/681/सत्तर-4-2023-002-4(59)/2022

प्रेषक,

डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक: 28 मार्च, 2023**

विषय-प्रदेश के राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों को शोध कार्यों हेतु "रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट" योजनांतर्गत अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश के राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों से "रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट" योजनांतर्गत प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ के अधीन गठित विशेषज्ञ समिति से कराया गया। अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ के पत्र संख्या-427/रा0उ0 शि0प0/01/2021, दिनांक 16.09.2022 एवं पत्र संख्या-442/रा0उ0शि0प0/01/2021, दिनांक 22.09.2022 द्वारा उपलब्ध करायी गयी विशेषज्ञ समिति की संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरांत संलग्न विवरण के अनुसार प्रदेश के राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों को शोध कार्यों हेतु "रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट" योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन रू0 1,34,23,587.00 (रुपये एक करोड़ चौंतीस लाख तेईस हजार पांच सौ सतासी मात्र) का अनुदान/वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट योजना के अंतर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय इस योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार उपरकण, शोध सहायक/केमिकल, ग्लासवेयर, उपभोज्य वस्तुएं आदि/यात्रा व्यय और फील्ड कार्य एवं डाटा कलेक्शन आदि आकस्मिक व्यय पर किया जायेगा।
2. शासनादेश संख्या-1604/सत्तर-4-2020-1268/2018 दिनांक 15.12.2020 द्वारा निर्गत रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा तथा परियोजना के अंतर्गत कराये गये शोध कार्यों की निर्धारित समय-सीमा पर समीक्षा की जाएगी एवं शासन को नियमित रूप से प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध करायी जाएगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. प्रश्नगत योजना से संबंधित कार्यों हेतु किसी भी दशा में कोई भी नियुक्ति नहीं की जाएगी तथा कोई डिप्लोमा/प्रशिक्षण कोर्स संचालित नहीं किये जाएंगे।
4. योजनांतर्गत स्वीकृत धनराशि का मदवार उपयोगिता प्रमाण पत्र व प्रगति आख्या शासन को संकलित रूप में उपलब्ध कराया जायेगा ।
5. योजनांतर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश प्रभावी रहेंगे। निदेशालय स्तर पर योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यक्रमों की मानीटरिंग की जायेगी तथा शासन को अवगत कराया जायेगा। योजनांतर्गत जो भी बुक्स/प्रकाशन किये जाएँगे उसमें योजना का नाम एवं उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन का उल्लेख अवश्य किया जायेगा ।
6. धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत सामग्री क्रय हेतु सुसंगत वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा। सामग्री के अनुरक्षण आदि पर होने वाला व्यय महाविद्यालय द्वारा किया जायेगा। प्रस्ताव पर यदि और धनराशि की आवश्यकता होती है तो महाविद्यालय द्वारा उसका वहन अपने स्रोतों से किया जायेगा ।
7. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों, सुसंगत वित्तीय नियमों एवं स्टोर परचेज रूल्स आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन होगी कि अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागर से आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को यथा समय उपलब्ध कराया जायेगा।
9. इस अनुदान को उपयोग अनुमोदित मदों पर ही किया जायेगा। अस्थाई रूप से भी इसका कोई भाग अन्य अनानुमोदित मदों, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा भत्ता, सवारी भत्ता व मानदेय कार्यों के लिए तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन पर व्यय नही किया जायेगा।
10. इस अनुदान पर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-05 भाग-01 के नियम 16ए में निहित अनुदान के नियम लागू होंगे।
11. उक्त धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा ।
12. प्रश्नगत शोध हेतु जो भी उपकरण क्रय किये जाएंगे, शोध/परियोजना पूर्ण होने के उपरांत संबंधित विभाग को हस्तगत कर दिये जाएंगे, जिसका उपयोग विभाग द्वारा आगामी शोध परियोजनाओं के लिए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,34,23,587 (रुपये एक करोड़ चौंतीस लाख तेईस हजार पांच सौ सतासी मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 073 **लेखा शीर्षक** 2202038001300 प्रदेश के महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में रिसर्च एवं डेवलपमेंट **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा

विशेष सचिव।

संख्या-24/2023/681(1)/सत्तर-4-2023-002-4(59)/2022 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा-1), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. संबंधित कोषाधिकारी।
5. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. प्राचार्य संबंधित महाविद्यालय द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज।
7. संबंधित शिक्षक/शोधकर्ता द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज।
8. अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, छठा तल इन्दिरा भवन लखनऊ को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11
10. अनुभाग अधिकारी (लेखा), उच्च शिक्षा विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि को तत्काल आनलाइन Grid (Budget) Allotment कर उसकी हार्ड कापी उच्च शिक्षा अनुभाग-4 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अरविन्द सिंह

अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	डी0एल0डब्ल्यू0, वाराणसी	Adolescents	यात्रा/फील्ड वर्क	15000.00	15000.00
			ओवर हेड चार्ज	18000.00	18000.00
			योग	**198000.00**	**198000.00**
70	डॉ0 योगेश मिश्र, जन्तु विज्ञान, भवन्स मेहता महाविद्यालय, भरवारी, कौशाम्बी	Analysis of profitability of fish production in relation to fish farmers in district Kaushambi Uttar Pradesh	अनावर्ती व्यय	55000.00	55000.00
			मैन पॉवर	15000.00	15000.00
			आकस्मिकता	20000.00	20000.00
			उपभोज्य सामग्री	10000.00	10000.00
			यात्रा/फील्ड वर्क	10000.00	10000.00
			ओवर हेड चार्ज	6000.00	6000.00
			योग	**116000.00**	**116000.00**
71	डॉ0 आरती बिश्नोई, भूगोल, पं0 पृथ्वी नाथ (पी0जी0) महाविद्यालय, कानपुर	Observation of change in ground water level and its quality pre and post reinwater harvesting in PPN College Kanpur	अनावर्ती व्यय	20000.00	20000.00
			मैन पॉवर	96000.00	96000.00
			आकस्मिकता	10000.00	10000.00
			उपभोज्य सामग्री	20000.00	20000.00
			यात्रा/फील्ड वर्क	5000.00	5000.00
			ओवर हेड चार्ज	15100.00	15100.00
			योग	**166100.00**	**166100.00**
72	डॉ0 निशा सिंह, मनोविज्ञान, मुनीश्वर दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, प्रतापगढ	The role of historical memory and national consciousness of India	अनावर्ती व्यय	50000.00	50000.00
			मैन पॉवर	35000.00	35000.00
			आकस्मिकता	17000.00	17000.00
			उपभोज्य सामग्री	17000.00	17000.00
			यात्रा/फील्ड वर्क	15000.00	15000.00
			ओवर हेड चार्ज	-	-
			योग	**134000.00**	**134000.00**
73	डॉ0 मित्र पाल सिंह, जन्तु विज्ञान, पालीवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शिकोहाबाद	Biodiversity and application of medicinal plants in Shikohabad Tehsil, District Firozabad, Uttar Pradesh	अनावर्ती व्यय	90000.00	90000.00
			मैन पॉवर	72000.00	72000.00
			आकस्मिकता	15000.00	15000.00
			उपभोज्य सामग्री	10000.00	10000.00
			यात्रा/फील्ड वर्क	15000.00	15000.00
			ओवर हेड चार्ज	14000.00	14000.00
			योग	**216000.00**	**216000.00**
74	डॉ0 जितेन्द्र कुमार, भौतिक विज्ञान, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बांदा	Study of anharmonic properties of some rock salt structured solids under High Temperature	अनावर्ती व्यय	50000.00	50000.00
			मैन पॉवर	60000.00	60000.00
			आकस्मिकता	20000.00	20000.00
			उपभोज्य सामग्री	20000.00	20000.00
			यात्रा/फील्ड वर्क	15000.00	15000.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in